



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 321/16

निर्णय दिनांक:- 8.1.2018

1. मनीराम पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी राववाला तहसील कोलायत जिला
बीकानेर।

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 09-07-2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के
आदेश दिनांक 09-07-2010 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने
वरियता के अभाव में खारिज किया गया है के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान
उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के
नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन के तहत चक 11 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 229/46 के लिए आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ धरोहर राशि 500/- जरिये रसीद जी.ए. 55 पुस्तक संख्या 418458 रसीद संख्या 00079 द्वारा जमा करवा दी गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर यह कथन करते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी अन्य ग्राम का निवासी होने के कारण वरियता में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के समय ही वांछित सबूत प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा शेष सबूत नोटिस आने पर जमा करवाने हेतु तैयार था। अपीलांट को किसी प्रकार भी कोई नोटिस तामील विधिवत नहीं हुई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11-08-2008 के विरुद्ध अपील दिनांक 19-09-17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09-07-2010 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 12-09-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 11 बी. एल. एम. के मुरब्बा नम्बर 229/46 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट को वादगत भूमि के आवंटन हेतु आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत व संबंधित तहसील का निवासी होना अपरिहार्य था।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को आवंटन सलाहकार समिति की के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 11-08-2008 को अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर विचार कर आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 11 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 229/46 के आवंटन हेतु एक अधिक आवेदन पत्र होने पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी अन्य ग्राम का निवासी होने के कारण वरियता में नहीं होने के कारण अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

(4) हमने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11-08-2008 का अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र अन्य ग्राम का निवासी होने के कारण वरियता से बाहर मानते हुए खारिज किया गया है। जबकि विशेष आवंटन श्रेणी में आवंटन की पात्रता हेतु संबंधित तहसील का निवासी होना आवश्यक होता है। प्रकरण में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पाया गया कि प्रार्थी अन्य ग्राम का निवासी होने के आधार पर अन्य आवेदकों की तुलना में वरियता में नहीं आने के आधार पर

खारिज किया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 09-07-2010 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर